संख्या-1025/2025/203/22-2-2025-17(200)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पाण्डेय पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय, निवासी जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1910/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025), दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पाण्डेय पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय, जो इटौरा, थाना-पूराकलन्दर, जनपद-फैजाबाद/अयोध्या का निवासी है। दहेज की माँग को लेकर दिनांक 06.09.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश की जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-11/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 14.02.2023 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.07.2024 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बंदी ने दिनांक 27.12.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे०-1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे जनमानस और समाज पर कुप्रभाव होने एवं इस कृत्य से जनमानस में काफी भय है यह हृदय विदारक कृत्य है जो पूरे समाज को प्रभावित होने, बन्दी जेल से छूटने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा जो अपराध कारित किया गया है, जिससे जनमानस में आकोश है तथा छूटने के बाद अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की माँग को लेकर दिनांक 06.09.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश की जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

up.gov.in

द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पाण्डेय (बन्दी संख्या-6058/2012) पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय, निवासी जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1025/2025/203(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद/अयोध्या।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up

शासनादेश संख्या-1025/2025/203/22-2-2025-17(200)/2025

दिनांकः 14 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पाण्डेय पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय, जो इटौरा, थाना-पूराकलन्दर, जनपद-फैजाबाद/अयोध्या का निवासी है। दहेज की माँग को लेकर दिनांक 06.09.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश की जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-11/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 14.02.2023 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.07.2024 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बंदी ने दिनांक 27.12.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे०-1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे जनमानस और समाज पर कुप्रभाव होने एवं इस कृत्य से जनमानस में काफी भय है यह हृदय विदारक कृत्य है जो पूरे समाज को प्रभावित होने, बन्दी जेल से छूटने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा जो अपराध कारित किया गया है, जिससे जनमानस में आकोश है तथा छूटने के बाद अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की माँग को लेकर दिनांक 06.09.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश की जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।